

न्यायालय- विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट कन्नौज।

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-278/2026

13.03.2026

जमानत प्रार्थनापत्र पेश हुआ। अभियुक्त वासिद की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर यह अंकित किया गया कि उन्हें जमानत प्रार्थनापत्र पर बल नहीं देना है।

अतः जमानत प्रार्थनापत्र बल न दिये जाने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
कन्नौज।